भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4430
(दिनांक 20.08.2025 को उत्तर के लिए)

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 में संशोधन

4430. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप संशोधित किया गया हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते में वृद्धि की है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जा रहे विभिन्न अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ) : केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 7,12,14,19 और 20 को दिनांक 03.04.2018 की अधिसूचना *के माध्यम से* दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 17.07.2018 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें इस अधिसूचना के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 20 की प्रयोज्यता को स्पष्ट किया गया है।

दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते (सीईए) की प्रतिपूर्ति, 4500 रू. प्रति माह निर्धारित की गई है जोकि दिनांक 17 जुलाई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी सीईए की निर्धारित सामान्य दरों की दोगुनी है। इन दरों को 4500 रू. प्रति माह से और संशोधित करके 5625 रू. प्रति माह कर दिया गया है।

जहाँ तक केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 से संबंधित अन्य लाभों का संबंध है, बैंचमार्क दिव्यांगता वाले सरकारी कर्मचारियों को चार दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है; दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारी को शिशु के जन्म से लेकर शिशु के दो वर्ष की आयु के होने तक शिशु की देखभाल के लिए 3000 रू. प्रति माह का विशेष भत्ता प्रदान किया जाता है।

****